>

Title: Need to grant recognition to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Rajasthan under UGC Act.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी के तहत मान्यता प्रदान करता है। ऐसा ही प्रकरण मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के बीकानेर मुख्यालय स्थित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का है। प्रकरण 12बी की मान्यता के लिए विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने सिफारिश करके यहां भेजा है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी यूजीसी की सिफारिश के साथ मान्यता के लिए पत्र प्रेषित किया है। लेकिन यूजीसी द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बीकानेर राजस्थान के रेगिस्तानी भूभाग का हृदयस्थल है तथा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर पिछड़ा हुआ माना जाता है। ऐसी स्थिति में एक रेगिस्तानी इलाके का विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम की धारा 12बी की शर्तें पूरी करता हो तथा वह प्रकरण सभी स्तरों से अभिशंसित होकर यूजीसी में लम्बित हो, तो मान्यता दिलवाने में प्राथमिकता से काम करने का दायित्व यूजीसी का बनता है।

मैंने यह विषय लोक सभा में नियम 377 के तहत भी उठाया था। उसके जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने कहा कि सम्बन्धित विश्वविद्यालय ने अभी तक आवश्यक विश्वविद्यालय सुविधाएं विकसित नहीं की है, जबकि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय ने वे सारी सुविधाएं जैसे प्रयोगशाला, पुस्तकालय इत्यादि विकसित कर ली हैं। यह मैं खुद वहां देखकर आया हूं। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि बीकानेर में स्थित इस महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय को यूजीसी की धारा 12-बी के तहत मान्यता दिलाने की व्यवस्था करें, जिससे वहां पढ़ने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राहत उपलब्ध हो सके।